

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 618/2012/चित्तौड़गढ़.

मैसर्स फर्नेश फेब्रिका (इण्डिया) लिमिटेड, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़.अपीलार्थी.
बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, बांसवाड़ा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/01/2015

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 53/सीएसटी/2010-11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.09.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, वृत-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 सप्तित वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.08.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2007 को वाहन संख्या RJ-27/G-4185 को चैक किये जाने पर वाहन में लास्टिक आर्टिकल परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित मैसर्स उमा रोडवेज कॉरपोरेशन, मुम्बई का कनसाईनमेंट नोट नं 0 1885 दिनांक 22.12.2007, मैसर्स केमीकल प्रोसेस इक्यूपमेंट प्रा० लिमिटेड, पोर बडोदरा (गुजरात) का इनवॉयस नं 0 144 दिनांक 22.12.2007 तथा मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, देबारी का घोषणा प्रपत्र वैट-47 नं 0 0863672 पेश किये। प्रत्युत दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि इन्वॉयस में क्रेता मैसर्स फरनेश फेब्रिका (इण्डिया) लिमिटेड घोषित है, जबकि प्रपत्र वैट-47 मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (कन्साईनी) का पेश किया है। अतः कन्साईनी के प्रपत्र वैट-47 का दुरुपयोग एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए वैट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति रूपये 78,539/- एवं वैट रूपये 10,472/- कुल रूपये 89,011/- का आरोपण आदेश दिनांक 29.12.2007 से किया गया।

3. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 29.12.2007 के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 02.03.2010 से अपील संख्या 180/वेट/07-08 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध कर निर्धारण अधिकारी (राजस्व) द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 1989/2010/उदयपुर प्रस्तुत की गयी। कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ ने उक्त अपील में निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित करते हुए, अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 02.03.2010 को अपास्त किया गया, साथ ही कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 29.12.2007 को भी अपास्त किया गया। इसी दौरान कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 02.03.2010 की पालना में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 24(6) के तहत पुनः आदेश दिनांक 12.08.2010 पारित करते हुए पूर्व आदेश दिनांक 29.12.2007 से आरोपित शास्ति रूपये 78,539/- को समाप्त करते हुए, आरोपित वैट रूपये 10,472/- को यथावत रखा गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 12.08.2010 के विरुद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यक्तिगत अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि परिवहनित माल का परिवहन केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत किया जा रहा था, जिसमें मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को माल की डिलीवरी देनी थी। इस सम्बन्ध में संव्यवहार से पूर्व ही अपीलार्थी व्यवहारी एवं मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के मध्य संविदा निष्पादित कर ली गई थी, अतः इसी आधार पर मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रपत्र वैट-47 संलग्न किया गया था। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वैट-47 का दुरुपयोग एवं करापवंचन की मंशा मानते हुए, 4 प्रतिशत की दर से वैट का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित करते हुए, कर

काठोट 17/

निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित वैट एवं शास्ति को अविधिक निर्णीत किया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में पारित किया गया आदेश दिनांक 12.08.2010 एवं उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने राज्य के बाहर से माल मंगवाया था, जिसके-लिये व्यवहारी स्वयं का घोषणा-पत्र वैट-47 संलग्न होना आवश्यक था, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने करापवंचन की मंशा से स्वयं का घोषणा-पत्र संलग्न नहीं करते हुए मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का घोषणा-पत्र संलग्न किया है। ऐसी स्थिति में वक्त परिवहन माल के दस्तावेजों में विरोधाभास होने से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के तहत वैट का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ ने निर्णय दिनांक 22.03.2012 सपठित संशोधित आदेश दिनांक 14.05.2012 पारित करते हुए, व्यवहारी द्वारा वक्त परिवहन मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से प्रस्तुत घोषणा-पत्र वैट-47 को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6(2) के तहत अनुज्ञेय करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित वैट व शास्ति को अपास्त किया है तथा इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा जांच हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने सम्बन्धी आदेश को भी अपास्त किया है। माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2012 सपठित संशोधित आदेश दिनांक 14.05.2012 का सुसंगत अंश इस प्रकार है :–

"6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया गया। अप्रार्थी-व्यवसायी द्वारा राज्य बाहर से मै0 केमीकेल प्रोसेस इक्यूपमेंट प्रा0 लि0, बड़ौदा से प्लास्टिक आर्टिकल क्रय कर माल को हिन्दुस्तान जिंक .लि0 को प्रेषित कराया है। बिल व बिल्टी दोनों में माल क्रयकर्ता प्रत्यर्थी है तथा प्रेषित हिन्दुस्तान जिंक दर्शाया गया है।

हिन्दुस्तान जिंक लि�0 का घोषणा पत्र फार्म वेट-47 संलग्न किया है तथा इस विक्रय को धारा 6(2) of CST Act के तहत ट्रांजिट सेल बताया है। प्रकरण के तथ्य पूर्व निर्णित प्रकरण (26 TUD 69) के सदृश है जिसमें 6(2) की बिक्री पर अंतिम क्रेता के फार्म को विधिसम्मत माना गया है। यह प्रकरण इन प्रकरणों से अच्छादित होने के कारण धारा 6(2) के तहत बिक्री की स्थिति में अन्तिम क्रेता द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र उपलब्ध होना धारा 76(2) की पालना होती है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर जांच करवाये जाने के निर्देश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि विक्रय प्रकृति पर विचार नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है अतः अपील निर्णय में दिये गये प्रतिप्रेषण निर्देश अपास्त किये जाते हैं।

फलतः अपील अस्वीकार की जाती है।"

9. माननीय एकलपीठ द्वारा उक्त निर्णय से अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को जांच हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने सम्बन्धी निर्णय को ही अपास्त कर दिया गया है, साथ ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित वैट एवं शास्ति को भी अपास्त किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में पारित किया गया आदेश दिनांक 12.08.2010 एवं उक्त आदेश की पुष्टि किये जाने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2011 स्वतः सारहीन हो जाते हैं।

10. अतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.08.2010 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 19.09.2011 को सारहीन घोषित किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि माननीय एकलपीठ द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2012 सप्तित संशोधित आदेश दिनांक 14.05.2012 अनुसार प्रकरण में कार्यवाही करें।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
13-01-2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य